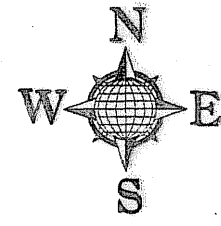


PROPOSED LAYOUT PLAN OF
"SHREE KRISHNAM RESIDENCY"
 UNDER KHASRA NO.- 156/381, 162, 162/382, 163, 428/161.
 AT VILLAGE :- HASAMPURA WAS BHANKROTA, TEH.- SANGANER, JAIPUR.



986
 B.
 31.3.22

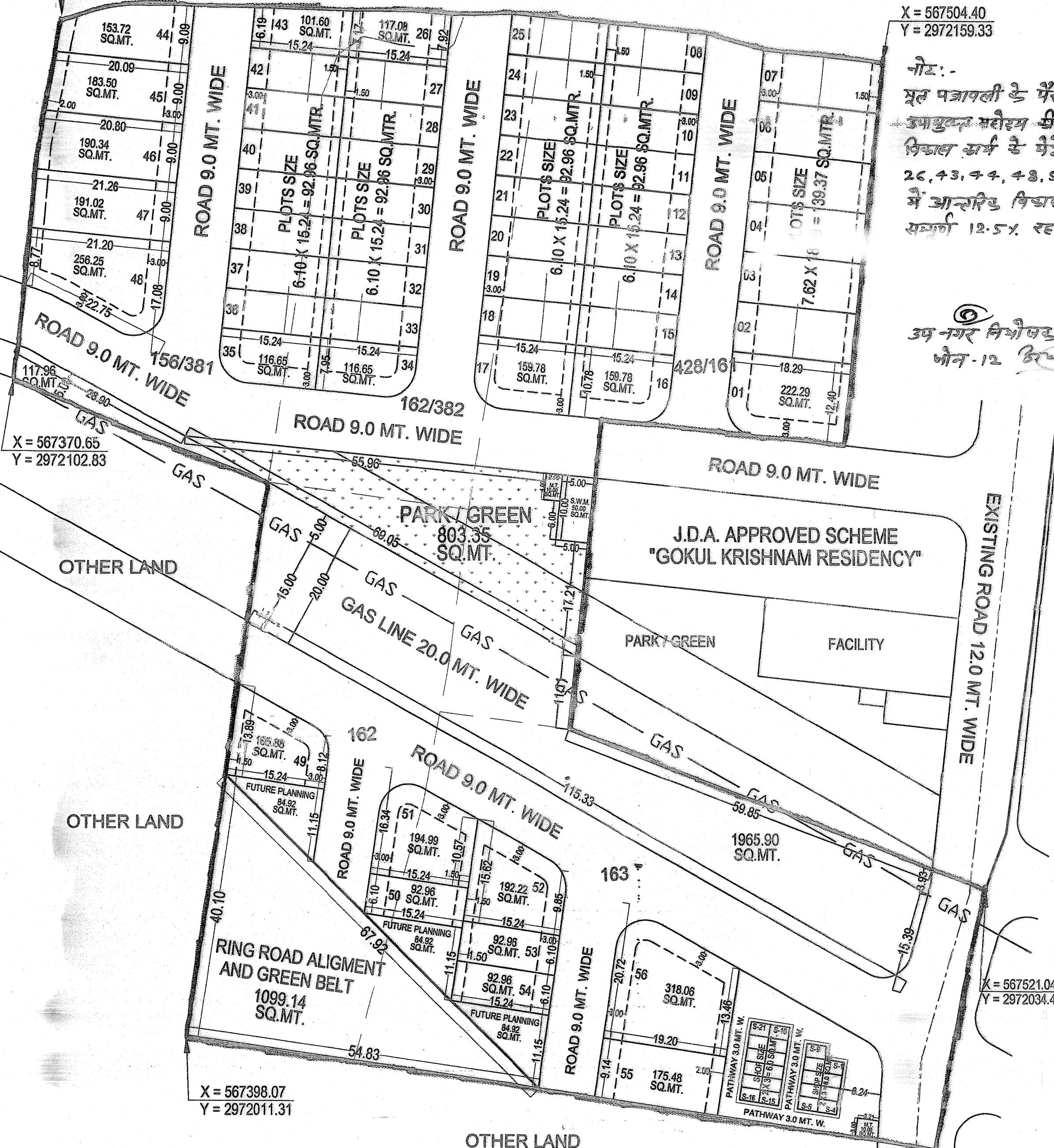
X = 567378.59
 Y = 2972165.71

X = 567504.40
 Y = 2972159.33

नोट :-
 पूर पत्रावली के पैरा संख्या 12.1/N पर मौजान
 उपायुक्त महोदय की खीहरी मर्यादा योजना में आन्तरिक
 विकास कार्य के पेटे रहन में रखे गये भूखण्डों -
 26, 43, 44, 48, 56 कुल 5 भूखण्डों में मौजाना
 में आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने के फलस्वरूप
 समूची 12.5% रहन चुकल किया जाता है।

उप नगर निधीपद
 जॉन-12

उपायुक्त
 जॉन-12



ज.वि.प्रा.

खसरा मानचित्र

पट्टा नमूना

विशेष सुचक

मास्टर विकास योजना 2025 के अनुसार भू उपयोग
 आवासीय भूखण्डों की निर्माण स्थिति :-
 1. कुल आवासीय भूखण्ड = 66
 2. कुल भूखण्ड = 9-21

AREA ANALYSIS :-			
S.No.	LAND USED	AREA IN (SQ.MTR.)	(%)
1.	RESIDENTIAL	6919.10	46.43 %
2.	FUTURE PLANNING	254.77	01.71 %
3.	RETAIL	126.00	0.85 %
TOTAL = 1 TO 3		7299.87	48.99 %
4.	PARK	803.35	05.39 %
5.	SWM	50.00	0.34 %
6.	MOBILE TOWER	20.00	0.13 %
7.	GAS LINE	2083.87	13.99 %
8.	ROAD	4643.77	31.16 %
TOTAL = 4 TO 8		7600.99	51.01 %
SCHEME AREA		14900.86	100.00 %

योजना की पूरी की पूर्णता अधिनियम की धारा 90 ए की
 कार्यवाही पूर्ण होने पर सूची का प्रमाणिकरण भेजे द्वारा किया गया।
 योजना की पूरी भूमि प्रमाणिकरण में निहित हो चुकी है।

नाम
 उपायुक्त
 जॉन-12

योजना का नाम:-
"SHREE KRISHNAM RESIDENCY"
 UNDER KHASRA NO.- 156/381, 162, 162/382, 163, 428/161.
 AT VILLAGE :- HASAMPURA WAS BHANKROTA, TEH.- SANGANER, JAIPUR.

जॉन संख्या = 12
 पैमाना :- 1:500

सहायक नगर नियोजक
 जॉन-12

अति. सहायक नगर नियोजक

नरिष नगर नियोजक

जयपुर विकास प्राधिकरण

CONSULTANT :-
Cad Max
 PROJECTS (P) LTD.
 301, Third Floor Prism Tower,
 Front of Police Head Quarters,
 Lal Kothi Tonk Road, JAIPUR
 Mobile No. 9826045031

योजना मानचित्र पर खसरा सुपर इम्पोज जॉन के अमीन द्वारा किया गया है।

अमीन
 जॉन-12

- नोट
- कार्नेर के भूखण्डों को क्षेत्रफल नियमानुसार कम किया जाना है।
 - आवेदित भूमि की 90ए की कार्यवाही दिनांक 08.12.2021 को व बीपीसी (एलपी) की बैठक 313वीं दिनांक 25.01.2022 के निर्णय के बिन्दु संख्या कि पालना/संशोधित 90ए की कार्यवाही 22.03.2022 को की जा चुकी है।
 - योजना की भूमि में रा.भू.रा.अधिनियम की धारा 90ए की कार्यवाही प्राधिकृत अधिकारी द्वारा एवं मौके पर प्रमाणिकरण तहसीलदार द्वारा किया गया है।
 - टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार आन्तरिक विकास के एवज में आवेदक द्वारा भूखण्ड संख्या 26, 43, 44, 48, 56 तक कुल भूखण्ड 5 कुल क्षेत्रफल 946.71 वर्गमीटर है, को जविप्रा में अनुमोदित योजना के 12.50 प्रतिशत क्षेत्रफल के पेटे रहन रखा गया है। भूखण्डों का आवंटन/पट्टा विकासकर्ता द्वारा विकास कार्य पूर्ण होने पर या विकास शुल्क जमा करारकर अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर ही किया जावेगा।
 - योजना का अनुमोदन बी.पी.सी. (एल.पी.) की 313वीं बैठक दिनांक 25.01.2022 को किया जा चुका है, जिसके निर्णय की अनुपालना में योजना मानचित्र जारी किया गया है।
 - योजना का भू-उपयोग मास्टर विकास योजना 2011 के अन्तर्गत ग्रामीण एवं मास्टर विकास योजना 2025 के अन्तर्गत यू-1 (आवासीय)।
 - आवेदित भूमि प्रस्तावित रिंग रोड के बविष्य में निर्धारित अलाईमेंट आवेदक को मान्य होगा इस के संबंध में आवेदक से शपथ पत्र लिया गया है।
 - बीपीसी (एलपी) की बैठक 313वीं दिनांक 25.01.2022 के निर्णय कि पालना में योजना के भूखण्डों पर पैरामीटर्स एवं सैटबैक्स जविप्रा (जयपुर रीजन भवन) जयपुर रीजन भवन विनियम 2020 के अनुसार व योजना मानचित्र टाउनशिप पॉलिसी 2010 के तहत जारी किया जा रहा है।

सहायक नगर नियोजक जॉन-12

तहसीलदार जॉन-12

उपायुक्त जॉन-12

वरिष्ठ नगर निधा बी.पी.सी. (एल.पी.)

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक बी.पी.सी. (एल.पी.)

CAD MAX PROJECTS PVT. LTD.
 301, Third Floor Prism Tower,
 Front of Police Head Quarters,
 Lal Kothi Tonk Road, JAIPUR
 Mobile No. 9826045031